

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)/2171-ए/अलेसे-III/२९६८

दिनांक :- ५-३-२०२२

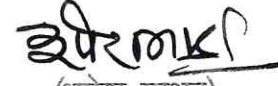
कार्यालय आदेश

श्रीमती जया पारीक (लिंक नं. 43426) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषालाय, जयपुर (शहर) को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता हैं।

असाधारण अवकाश :- दिनांक 20.09.2021 से 26.09.2021 तक (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

(कुल 07 दिवस)

उक्त कुल 07 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्रीमती जया पारीक की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित किया जावें।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)/2171-ए/अलेसे-III/२९६८

दिनांक :- ५-३-२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त कोषाधिकारी, कोषालय, जयपुर (शहर)।
2. श्रीमती जया पारीक (लिंक नं. 43426) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषालाय, जयपुर (शहर), जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)